Sanjay Kumar-II
District & Addl. Sessions Judge-1st
Khagaria

State through Bipin Kumar Vs Gulshan Kumar and others
GR No. 1205 of 2020
Chautham PS Case No. 97 of 2020
CIS No. 47 of 2020)

जिला– खगड़िया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश, SC/ST Act, खगड़िया

GR No. 1205 of 2020
Chautham PS Case No. 97 of 2020
CIS No. 47 of 2020)

राज्य (द्वारा विपिन कुमार)

....अभियोजन पक्ष/ सूचक

ब ना म

1. गुलशन कुमार,
   पिता–जितेन्द्र सिह
2. शिवम कुमार,
   पिता–जितेन्द्र सिह
3. रंजीत सिंह,
   पिता–विजेन्द्र सिंह
4. गोलू कुमार,
   पिता–विजेन्द्र सिंह
   सभी साकिन मोहनपुर, थाना चौथम, जिला खगड़िया।

..... अभियुक्तगण

संजय कुमार
DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST ★ KHAGARIA ★

आरोपित धाराएँ 341/34, 323/34, 356/34, 379/34, 504/34 IPC, U/s 3(1)(r)(s) SC/ST Act

अभियोजन की ओर से – श्री चन्द्रभूषण प्रसाद सिंह
विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से – श्री कृष्णकांत सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

उपस्थित : **संजय कुमार–।।**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 16वीं अप्रैल 2026

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त गुलशन कुमार, शिवम कुमार, रंजीत सिंह, गोलू कुमार के विरूद्ध धारा 341/34, 323/34, 356/34, 379/34, 504/34 IPC, U/s 3(1)(r)(s) SC/ST Act के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिनका वे

सामना कर रहे हैं।

2. यह वाद सूचक विपिन कुमार के लिखित आवेदन पर आधारित है, जिसमें उसने कथन किया है कि मैं सीएसपी संचाक हूँ। दिनांक 18.04.2020 को लगभग चार बजे शाम को ग्रामीण बैंक चौथम शाखा से 55000/– रूपया निकालकर मोटरसाईकिल से अपने घर मोहनपुर चला। लगभग 5.30 बजे मैं अपने गांव के बदलदेय स्थान के पास पहुँचा तो वहाँ घात लगाये बैठे आदमी वहाँ से मेरा पीछा किया और नाथस्थान के पास दबोच लिया। सभी के हाथ में नाजायज हथियार था। गुलशन कुमार ने राईफल तान कर मेरा मोटरसाईकिल रूकवा दिया और मेरे कंधा में लटका बैग का चेन खींचकर पच्चीस हजार का बंडल निकाल लिया। यह देख बचाने के लिए विमल सिंह दौड़े तो उसको राईफल के बट से मारा। उसके बाद हम अपनी जान बचाने अमलेश सिंह के घर में घुस गये। जिससे मेरा जान बचा। धमकी दिया कि इससे पहले भी केस किया है, सारा केस उठाओ, नहीं तो किसी दिन जान से मार दूँगा।

संजय कुमार

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST ★ KHAGARIA ★

3. सूचक के द्वारा दिये गये लिखित के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। इस वाद में अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

म न त व य

5. अभिलेख अवलोकन से अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में दो अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, वे हैं– अभियेाजन साक्षी संख्या 01 विमल सिंह एवं अभियोजन साक्षी संख्या 02 विपिन कुमार। इनमें से अभियोजन साक्षी संख्या 01 को अभियेाजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 02

विपिन कुमार जो कि इस वाद के सूचक हैं, ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि यह केस मैंने किया है। घटना का चार–पाँच साल हो गया है। समय लगभग चार बज रहा था। उस समय मैं चौथम बैंक से आ रहा था। रास्ता में घटना हुआ। उस समय मैं नाथथान के पास था। वहाँ गुलशन कुमार, रंजीत कुमार, शिवम, गोलू सब मिलकर हमारे साथ मारपीट और छीन छोर किया। पच्चीस हजार रूपया छीन लिया था। मेरा पास उस समय दो–ढ़ाई लाख से उपर था। साक्षी ने लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर का पहचान किया, जिसे उसके पहचान पर प्रदर्श–P1/PW-02 अंकित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य बयान में घटना का आंशिक समर्थन किया है तथा प्राथमिकी में कही गयी बातों को अक्षरशः नहीं कहा है। प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि पैसा मुझे मिल गया है। वहीं पर पैसा गिरा हुआ था। कौन किसको मारपीट किया, नहीं देख सका। कौन आदमी कौन गाली दिया, नहीं सुना था। कोई लुटपाट की घटना नहीं हुई। प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने मुख्य बयान में कही गयी बातों का समर्थन नहीं किया है और न ही उसने घटना का समर्थन किया। साक्षी के बयान में काफी विरोधाभास है तथा संगतता का अभाव है। अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। अनुसंधान का भी साक्ष्य अभियेाजन द्वारा नहीं कराया गया है, जिससे घटनास्थल भी स्थापित नहीं हो पाया है। ऐसा कोई भी साक्षी या साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे अभियोजन का वाद सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित हो सके।

संजय कुमार II
DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST ★ KHAGARIA ★

आदेश

6. अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्त गुलशन कुमार, शिवम कुमार, रंजीत सिंह, गोलू कुमार के विरूद्ध गठित धारा 341/34, 323/34, 356/34, 379/34, 504/34 IPC, U/s 3(1)(r)(s) SC/ST Act के आरोप को युक्तियुक्त संदेहों

से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति अभियुक्त दोषमुक्ति के योग्य हैं। फलतः अभियुक्त गुलशन कुमार, शिवम कुमार, रंजीत सिंह, गोलू कुमार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हे एवं उनके जमानतदार को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

संजय कुमार 16.4.26
(संजय कुमार–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
16.04.2026

संजय कुमार 16.4.26
(संजय कुमार–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
16.04.2026